Main Bhi Dilli
Ab Sheher Saath Banayenge

फैक्ट शीट 4

आजीविका: निर्माण मजदूर

फोटो क्रेडिट: एनआईआरएमएएनए

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 8-10 लाख लोग निर्माण मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, और इसमें से ज्यादा दुसरे राज्यों से आए प्रवासी गरीब हैं जो आजीविका के बेहतर साधन तलाशने आए हैं। ये शहरी गरीबों का हिस्सा हैं जो घर, सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजों के अभाव में जिंदगी जीते हैं। दिल्ली के निर्माण मजदूरों को बतौर शहर निर्माता पहचान और काम और जिंदगी जीने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए।

मैं भी दिल्ली अभियान एक समावेशी शहर की कल्पना व उसके निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य करने वाला एक जन अभियान है। यह एक सामाजिक संस्थानों, ऐक्टिविस्ट, शोधकर्ताओं, तथा आवास, जीविका, लिंग-भेद, और अन्य अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है।

शहरों में निर्माण मजदूर

परंपरागत रूप से निर्माण उद्योग एक मजदूर आधारित उद्योग है और इसके लिए कम वेतन पर मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ज्यादातर गांवों और छोटे शहरों के कम शिक्षित प्रवासी होते हैं। वो कम वेतन के साथ दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं।

इस क्षेत्र में काम करने वाले 69 प्रतिशत मजदूरों की उम्र 16 साल से 35 साल के बीच है, जिसमें से 12 प्रतिशत महिलाएं भी हैं। मजदूरों की कुल संख्या के 81 प्रतिशत लोगों को ही एक महीने में 15 दिनों से ज्यादा का काम मिल पाता है। 22 प्रतिशत को 25 से लेकर 30 दिनों का काम मिलता है (निर्माना)।

ये रहते कहां हैं?

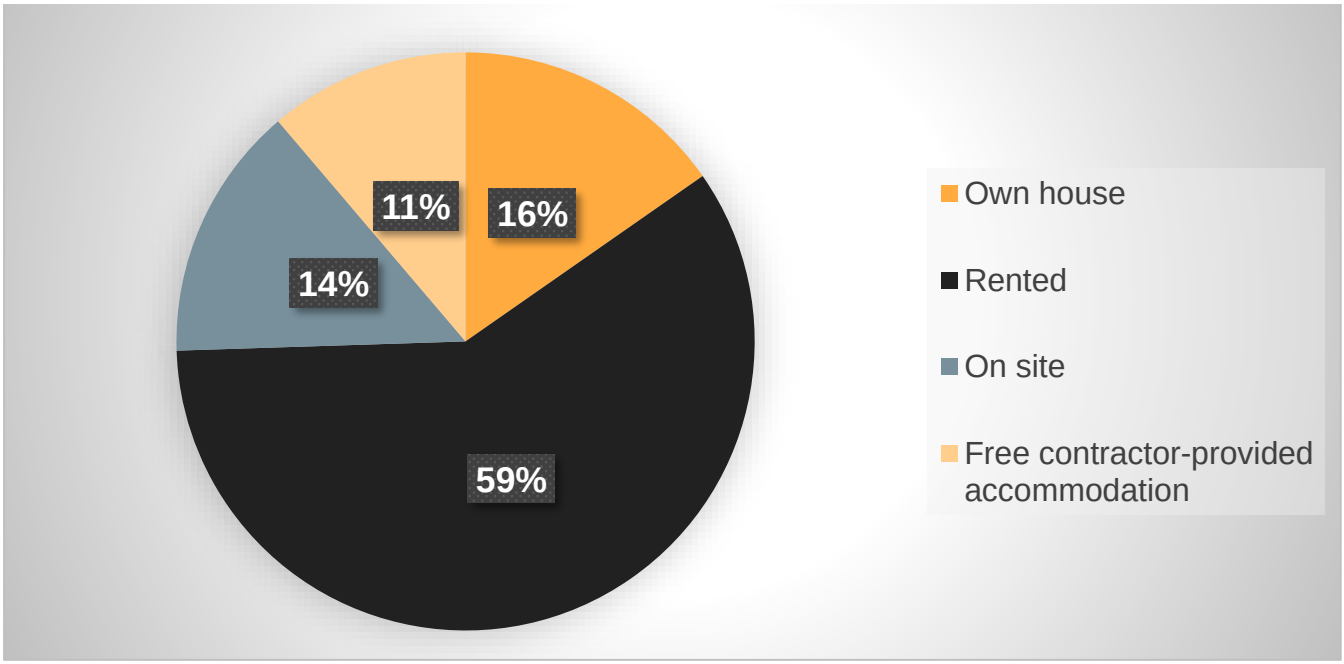

उनका योगदान

निर्माण उद्योग देश का तीसरा बड़ा रोजगार मुहैया करवाने वाला उद्योग है- कुल कामगारों का 10 प्रतिशत

ये शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन है।

वो कम वेतन पर शहरों के विकास कार्यो को अंजाम देते हैं।

निर्माण मजदूरों के लंबे संघर्ष की नतीजा है कि साल 1996 में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ इंप्लाईमेंट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विसएक्ट) लागू हो पाया। इस कानून के तहत दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड बनाया गया जो मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें सेस का लाभ पहुंचाता है। हलांकि कि अभी तक 5 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है और सेस का लाभ पाने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन मांग के मुताबिक वितरण न होना असंतोषजनक है।

मुख्य मुद्दे

आवास की सही व्यवस्था का न होना

- कम कीमत पर मिलने वाले घरों की कमी
- परिवारों, प्रवासियों वगैरह के लिए प्रावधानों की कमी
- रहने वाली जगह और काम की जगह के बीच काफी दूरी और यातायात के संसाधनों की कमी
- साफ पानी, साफ खाना, शिक्षा, काम के दौरान छोटे बच्चों को रखने की जगह और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी

पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा की कमी

- प्रवासियों के पहचान पत्र की प्रमाणिकता नहीं की जा सकती जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती।
- पहचान पत्र, उसकी योग्यता, हक जैसी चीजों के लिए कम जागरुकता का होना।

यांत्रिकिकरण और कौशल के लिए जरूरत

- यांत्रिकिकरण द्वारा लाए परिवर्तन के कारण नौकरियों की कमी से होने वाला नुकसान
- मजदूरों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास केंद्रों की कमी

काम करने की बुरी स्थिति

- कम परिश्रमिक
- काम करने के लंबी अवधि
- सुरक्षा मानकों की कमी के कारण लगातार होते हादसे
- काम के दौरान छोटे बच्चों को रखने की जगह, शौचालय और कैंटीन की कमी

निर्माण मजदूरों के लिए एमपीडी '41 क्या कर सकती है?

1 काम करने की जगहों पर सुविधाओं के लिए प्रावधान

- आवासीय इलाकों और लेबर चौक जैसी जगहों पर कम से कम एक मजदूर संसाधन केंद्र का निर्माण
- लेबर चौक पर बुनियादी सुविधाओं समेत छत के लिए प्रावधान
- काम करने वाली जगह पर मजदूरों के लिए छत का निर्माण का आदेश जारी होने के साथ साथ लागू भी होना चाहिए
- आवासीय इलाकों और काम की जगहों पर छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था (पूरे दिन के लिए)
- इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए अगल से एक रूम की व्यवस्था

2 जगह पर ध्यान

- जगहों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उससे मूल निर्माण स्थल, सुविधाएं जैसे रहने के लिए घर और यातायात की सुविधा मूहैया करवाई जा सके।

3 किराए पर घर

- दिल्ली में प्रवासी निर्माण कार्य वाले मजदूरों के लिए कम लागत वाले घरों का प्रावधान। डीयूएसआईबी के जरिए देने का प्रावधान हो। इसके लिए भवन फाउंडेशन के किराए पर हॉस्टल को आधार बनाया जा सकता है। मौजूदा भवनों में खाली जगह को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4 भौतिक और सामाज ढ़ाचे के लिए प्रावधान

- खाना, शौचालय, स्नानघर/ कपड़े धोने की जगह, पीने के लिए साफ पानी, छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था, मौज मस्ती की जगह, खाने की मेस और भंडारण निर्माण स्थल पर होनी चाहिए।
- इसके लिए दूसरे जगहो के मौजूदा मॉडलों की समीक्षा कर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में, मजदूरों को खाना मिल सके इसके लिए जरूरी जगहों पर छोटी सी किचन की व्यवस्था की जा सकती है।

5 कौशल विकास

- मजदूरों के कौशल विकास के लिए दिल्ली सरकार के विश्व स्तरीय कैशल विकास केंद्रों में सुविधा दी जानी चाहिए।
- इसके लिए सभी निर्माण स्थलों पर कौशल विकास के लिए एक सामूहिक जगह निर्धारित की जानी चाहिए।

6 यातायात की सुविधा

मजदूरों को डीटीसी की बसों और ऑटो में सफर करने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ:
दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क: दिल्ले के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के मजदूरी की नक्शे पर रेखांकन।
हर्षिल शर्मा, सीएम अर्बन लीडर फेलोशिप (सीएमयूएलएफ) प्रोग्राम: इंप्रूविंग वेल्फेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिल्ली ह्यूमन डेवलेप्मेंट रिपोर्ट, 2013
प्रो. रवि श्रीवास्तव: 'लेबर एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री- बिल्डिंग इंडिया ब्रिक्स बाई ब्रिक्स'
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट (सीडब्ल्यूपी 318/2016) एनसीसी-सीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ओआरएस पर एनएएलएसए की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के जमा
केंद्रीय श्रम सचिव द्वारा जारी मॉडल कल्याण योजना और कार्य योजना, भारत सरकार ने एमओएल पत्र संख्या डी.ओ. No Z-20012/09/2018-BL दिनांक 30.10.2018